






न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
24/24	136 RTA-LR Act	मुडियाखेडा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
अनरथ सिंह	बनाम	राजस्थान सरकार	
वकील :-	श्री हरिओम शर्मा	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ
02.07.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आरी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी गण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.07.2024 को पेश हो। 		
24.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। पैराकार सरकार उपर। जवाब/रिपोर्ट फरमाए पेश नहीं। पत्रावली वाले जवाब/रिपोर्ट दिनांक 28.8.24 को पेश हो। 		
28.8.24	अन्य पीतरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिश्ति में दिनांक 24.9.24 को पेश हो।  रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),		
24.9.24	अन्य पीतरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिश्ति में दिनांक 27.11.24 को पेश हो।  रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),		
27.11.24	अन्य पीतरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिश्ति में दिनांक 18.12.24 को पेश हो।  रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),		

न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट
न्यायाधीश
श्री. ज. ए. लोखंडेकर

अनुरोध

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
--------	--------------------

18.12.24	<p>पत्रावली पेज दुई वकील वार्थी उफा वकील यावरी प्रकरण को चलावा नही चाहते है प्रकरण के आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। Not press करना चाहते है। प्रकरण Not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली अंश 25 नर होकर दायित्व स्पर्ह हो।</p>
----------	---

Note Press
Mohan